

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क./जे.पी.डी/मु.अ.(पवस)/अधी.अभि./ (आर.ई.)/प 1200/प्रे. 1853 दि. 20/12/11

आदेश


विषय:- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटिंग मोटर पम्पसेट पर मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत करने बाबत, आवेदन का प्रपत्र।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 609 दि. 27.08.2010 (आर.ई.ओ-218) के द्वारा जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्ट पम्प के विकल्प का चयन करते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सेट स्थापित करेंगे उन्हें रु. 500/- प्रति हा.पा. की दर से अनुदान राशि विद्युत बिलों में 12 समान किश्तों में समायोजित कर देने का प्रावधान रखा गया था।

इसी क्रम में निगम से जारी आदेश क्रमांक 1231 दि. 28.08.2011 (आर.ई.ओ-227) द्वारा उक्त अनुदान राशि को रूपये 500/- प्रति हा.पा. से बढ़ाकर रूपये 750/- प्रति हा.पा. कर दिया गया था।


इस सम्बन्ध में उक्त अनुदान राशि का आवेदक द्वारा दावा (Claim) करने के लिये, आवेदक से लिये जाने वाले आवेदन एवं अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


21/12/11
(ए. के. कल्ला)
मुख्य अभियन्ता (पवस)
जेपीडी, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
5. प्रावधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विशिष्ट) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावधिक सहायक, राज्य मंत्री, उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (राम बाग सर्किल) जयपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ / ग्रीवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
13. विशिष्ट सहायक, सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री, सचिवालय, राज0 सरकार, जयपुर।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. निजी सचिव, मा0 उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मा0 उर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
17. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
18. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर।
19. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।


मुख्य अभियन्ता (पवस)

सहायक अभियन्ता (पवस/)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि. नि. लि.

विषय- हॉर्सपॉवर का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित
कम से कम 3 स्टार रेटिंग मोटर पम्पसेट पर मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत
करने बाबत।

सन्दर्भ- कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित पत्रावली क्र. दि.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित
..... हॉर्सपॉवर का स्टार रेटिंग का मोटर पम्पसेट उपरोक्त कनेक्शन हेतु
स्थापित कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र. स.	विवरण	
1	मोटर पम्पसेट का नम्बर	
2	मोटर पम्पसेट का मेक	
3	मोटर पम्पसेट का मॉडल	
4	मोटर पम्पसेट का रेटिंग (हॉ पा.)	
5	मोटर पम्पसेट की स्टेज	
6	विक्रेता फर्म का नाम व पता	
7	बिल/ कॅश मीमो का क्रमांक दि..... (प्रति संलग्न)	

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत कर
उक्त कृषि कनेक्शन हेतु भविष्य में जारी किये जाने वाले 12 मासिक विद्युत विपत्रों के माध्यम से
दिलाये जाने की कृपा करें।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
उपभोक्ता/आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
ग्राम का नाम
पंचायत समिति
जिला

सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय उपयोग हेतु

कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
प्रार्थना पत्र आज दिनांक को प्राप्त हुआ
प्राप्ति क्र. दिनांक

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमार/कुमारी
ने उक्त आवेदित कृषि कनेक्शन हेतु हार्स पावर का ब्यूरो ऑफ एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित
----- स्टार रेटिंग का मोटर पम्प सेट जिसका विवरण उपर दिया गया है को स्थापित
कर लिया गया है।

अतः नियमानुसार, अनुदान राशि विद्युत विपत्रो के माध्यम से दिलवाये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणीकरण दिनांक -

कनिष्ठ अभियन्ता (पवस/
जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि. नि. लि.
.....)

अनुमोदन

आवेदक श्री----- पुत्र श्री----- को
आवेदित कृषि कनेक्शन हेतु निर्धारित मानक की ----- एच पी की ----- स्टार
रेटिंग मोटर पम्प सेट लगाने पर नियमानुसार अनुदान राशि रूपये प्रति हा. पा. कुल
अनुदान राशि रूपये भविष्य में जारी किये जाने वाले विद्युत विपत्रो के माध्यम से 12
समान किश्तों में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सहायक अभियन्ता (पवस/
जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि. नि. लि.
.....)

राजस्व अधिकारी